

**आई.सी.एम.आर.-राष्ट्रीय कॉलरा एवं आंत्र रोग संस्थान**  
**ICMR-NATIONAL INSTITUTE OF CHOLERA AND ENTERIC DISEASES**  
**छुट्टी यात्रा रियायत के लिए आवेदन पत्र/छुट्टी यात्रा रियायत के पेशगी के लिए आवेदन पत्र**  
**Application Form for L.T.C./ Grant of LTC Advance**  
**( आवेदन यात्रा की तारीख से एक माह पूर्व अवश्य प्रस्तुत किया जाए)**  
*(The application must be submitted one month in advance of the date of journey)*

1. सरकारी कर्मचारी का नाम/Name of the Govt. Servant:
2. पद/Designation:
3. वर्तमान वेतन/Present Pay:
4. परिषद की सेवा आरंभ करने की तारीख/Date of joining Council's Service:
5. I) घोषित मूल निवास स्थान का नाम/Name of the Declared Hometown:  
II) मूल निवास स्थान का निकटतम रेलवे स्टेशन (यदि रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है)  
Nearest railway Station/airport to the Hometown (If not connected by railways/air):  
III) लघुतम मार्ग द्वारा परिषद मुख्यालय से मूल निवास की दूरी  
Distance of Hometown from ICMR headquarters. By shortest route:  
IV) उस स्थान का नाम जहाँ की यात्रा करने का प्रस्ताव है (मूल निवास के अलावा)  
Name of the place proposed to be visited (other than Hometown):
6. दो वर्ष/ चार वर्ष का ब्लॉक जिसके लिए पिछली बार रियायत का लाभ लिया गया था ! (की गई बहियात्राकी तारीख भी लिखें)  
The block of two year/four year for which the concession was last availed of (Give here the date of out ward journey performed also) :
7. दो वर्ष/ चार वर्ष का ब्लॉक जिसके लिए अब रियायत के उपयोग करने का प्रस्ताव है/  
The block of two year/four year for which the concession is now proposed to be utilised:
8. वर्तमान ब्लॉक के लिए प्रस्तावित यात्रा की अवधि (कृपया अवकाश आवेदन संलग्न करें)।  
Duration of journey proposed for the Current Block (Please enclose leave application)
9. आवेदक सहित परिवार के उन सदस्यों की आयु और उनके संबंध जिनके लिए रियायत लेनी है:  
Details of Member of family including self with their age and relationship for whom concession is sought : (Please submit declaration certificate in specified format)

नाम Name	आयु Age	संबंध Relationship
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**प्रमाण-पत्र / CERTIFICATE**

- 1 प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/ पति सरकारी/ अर्द्ध सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम या अन्य किसी संगठन में कार्य नहीं कर रही/ रहे हैं और छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र नहीं हैं।  
Certified that my wife/husband is not employed in a Govt./SemiGovt./Public undertaking/ or any other organisation and is not entitled to L.T.C.
- 2 प्रमाणित किया जाता है कि मेरे बच्चे, जिनके लिए छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग किया गया है, पूरी तरह मुझ पर आश्रित हैं।  
Certified that my children for whom L.T.C. has been utilised are wholly dependent on me.
- 3 प्रमाणित किया जाता है कि जिन व्यस्क बच्चों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग किया वे अविवाहित हैं और कहीं भी नौकरी नहीं करते हैं।  
Certified that the major children for whom L.T.C. has been utilised are not married and employed anywhere.
- 4 प्रमाणित किया जाता है कि मेरे माता/ पिता जिनके लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लिया गया है, पूरी तरह मुझ पर आश्रित हैं और उनकी मासिक आय ..... रुपये हैं।  
Certified that my father/mother for whom L.T.C. has been claimed are wholly dependent on me and that his/ her monthly income is Rs. -----
- 5 रियायत का उपयोग करने के लिए क्या किसी अग्रिम की आवश्यकता है। यदि है तो विवरण सहित राशि बताएँ।  
Is any advance required for utilising the concession if so, state amount with details.

**टिप्पणी / NOTE:**

1. यदि अग्रिम की मंजूरी के 30 दिन के अंदर यात्रा प्रारंभ नहीं की जाती है तो अग्रिम तत्काल लौटना होगा।  
The advance will have to be refunded forth with if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of the advance.
2. यात्रा से लौटने के 1 माह के अंदर लिए गए अग्रिम का समायोजन कर लिया जाना चाहिए।  
The advance drawn should be adjusted within one month of the completion of return journey.
3. भारत सरकार द्वारा नवीनतम एलटीसी नियमों को एलटीसी अग्रिम का दावा करने वाले एलटीसी के आवेदन, वाहन की बुकिंग (वायु, रेलवे, बस/कार) द्वारा सहायता प्राप्त होनी चाहिए।  
The latest LTC rules by the Govt of India should be abided by as for application of LTC, claiming of LTC advance, booking of conveyance (air, railways, bus/car, steamer/ship as the case may be)
4. यात्रा पूरी होने के 72 घंटे के भीतर निर्धारित प्रारूप में यात्रा पूरी करने की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।  
Self declaration towards completion of journey in prescribed format needs to be submitted within 72 hours of the completion of the journey
5. छुट्टी यात्रा रियायत के दावे के बिल के साथ रेल टिकट का नंबर और नगद रसीद अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। नगद रसीद के बिना दावे के भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।  
Cash receipts for Railway tickets purchased with serial numbers of the railway tickets must be submitted with the bill claiming leave travel concession, without money receipts the claim may not be admitted for payment.

6. अन्‍य कोई सूचना।  
*Any other information*

*हस्ताक्षर/Signature*

*पूरा नाम/Name in full*